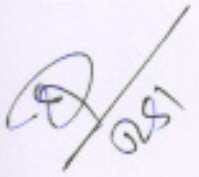


धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व
के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड में चिन्यालीसौड-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.5225 हे० आरक्षित / सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

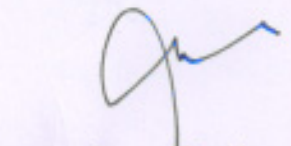
राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड में चिन्यालीसौड-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी० (लम्बाई) तक समरेखण के अन्तर्गत आवेदित आरक्षित / सिविल सोयम वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है। तथा उक्त आरक्षित वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त आरक्षित वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गयी है।



अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
चिन्यालीसौड उत्तरकाशी


प्रमाणिकारी
धरसू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग


प्रमाणिकारी वन अधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी


तहसीलदार,
चिन्यालीसौड।


उपनिर्माणिकारी
खण्ड उत्तरकाशी


प्रतिहस्ताक्षर
विभाधिकारी
उत्तरकाशी